न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 63/2004

वादी :-

1. पूनाराम पुत्र देवाराम
   जाति-देवासी, निवासी-फूलमाल,
   तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. चैनाराम पुत्र देवाराम
2. श्रवणराम पुत्र देवाराम
3. ढ्गली बेवा देवाराम
4. शेषाराम पुत्र जणाराम
   जातियान-देवासी निवासी-फूलमाल
   तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)
5. अणदाराम पुत्र नाथूराम
6. तेजाराम पुत्र नाथूराम
7. कानाराम पुत्र हीराराम
   जातियान-जाट निवासी-फूलमाल
   तहसील- जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् बंटवाझ एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, तारीख रजू:.15/06/2004

उपस्थितः- 1. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 03/06/2015

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-फूलमाल तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज0) में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की शामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 440, 441, 442 कुल किता-3 कुल रकबा 38 बीघा 11 बिस्वा वाके हैं, जो बेरा जाखडावाली व उसके जाव के नाम से जानी जाती है। इस भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्याा 5 से 7 का 1/2 हिस्सा बतौर खातेदार काश्तकार के है व वादी का कुल जमीन में 1/16 हिस्सा हैं व प्रतिवादी संख 1, 2, 3 प्रस्येक का 1/16 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 से 7 की 1/2 हिस्सा हैं। मौके पर हिस्से अनुसार जमीन बंटी हुई हैं व अपने अपने हिस्से अनुसार काश्त करते है व कब्जा हैं। पूरी जमीन का एक खाता है व लगान शामलाती हैं। नक्शा ट्रेस में भी पुरी जमीन शामलाती है, दशाई गई है। अलग-अलग हिस्से नहीं दर्शाये गये है। वादी की 1/16 हिस्से की सम्पूर्ण जमीन मौके पर वादी के कब्जे व काश्त में नहीं होने पर वादी ने प्रतिवादी को कहा कि वो पूरे हिस्से की जमीन नपवाकर पत्थरगढी करवाकर नेखमबंदी करवाकर तकासगा करवा देवें, मगर प्रतिवादीगण नहीं मानें। इस पर वादी ने नाप करने का प्रार्थना-पत्र दिनांक 29/05/2004 को श्रीमान को पेश किया। जिसमें वाद पेश करने के आदेश के जवाब वादी को नियमानुसार विभाजन का वाद पेश करने का आदेश दिया। वादी ने दिनांक 28/05/2004 को प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के शामलाती खातेदारी का तकासगा बाई गिटस एण्ड बाउण्डस करवाने का कहा तो मना कर दिया। वादी अकेला है व प्रतिवादीगण उसके हिस्से व कब्जा काश्त की भूमि से उसको बेदखल करने अर्थात दखलन्दाजी करने पर आमादा

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

। जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं। यदि तिवादीगण ने ऐसा कर दिया, तो वादी को अरीम हानि होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर सम्भव नहीं होगी, प्रतिवादी संख्या 8 तहसीलदार जैतारण भूमिधारी है, जो इस तकासमा के विरुद्ध में आवश्यक पक्षकार होने से वाद में पक्षकार बनाया गया हैं। इनके विरुद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया हैं। इसलिए वादी का दावा माफिक वाद डिक्री फरमावें। इस पर मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मनस वास्ते जवाबदावा तलब किया गया। परन्तु प्रतिवादी संख्या 8 बावजूद इतला अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक 22/12/2005 को इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लिया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 ने राजीनामा पेश किया हैं, जिसे तस्दीक किया जाकर पत्रावलीबद्ध गया।

वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस व्यक्त किया कि प्रतिवादीगण ने राजीनामा पेश कर वादी के वाद को सही होना स्वीकार किया हैं। इसलिए माफिक राजीनामा वादी का वाद डिक्री फरमावें। वकील प्रतिवादीगण ने इसके जवाब में आग्रह किया कि यदि माफिक राजीनामा वादी का वाद डिक्री किया जाता है, तो उसे कोई आपति नहीं हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलेकन किया गया एवं वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण ने राजीनामा पेश कर दिया हैं। इसलिए अब पक्षकारन के मध्य कोई विवाद बिन्दु शेष हीं रह जाता है। इसलिए वादी तकासमा कराने एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। वस्तुतः माफिक राजीनामा एवं राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाझा मौके पर करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा–फूलमाल तहसील–जैतारण, जिला–पाली (राज0) में वादी व प्रतिवादी संख्या 7 की शामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 440, 441, 442 कुल किता–3 कुल रकबा 38 बीघा 11 बिस्वा भूमि का जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाझा वाई मिट्स एण्ड बाँउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग–अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी /बेखमबन्दी करवाकर बंटवाझा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाझा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2006/529 दिनांक 29/06/2006, स्मरण पत्र–द्वितीय 228 दिनांक 19/03/2007, स्मरण पत्र–तृतीय 386 दिनांक 08/04/2009, स्मरण पत्र–चतुर्थ 217 दिनांक 18/03/2010, तथा अति आवश्यक स्मरण पत्र 1163 दिनांक 02/02/2014 द्वारा आदेशित किया गया।

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र – फूलमाल पर पेश हुई। तहसीलदार, जैतारण ने उक्त विवादित भूमि का आज दिनांक 03/06/2015 को राजस्व लोक अदालत में फर्द मौका विभाजन / बंटवाझा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पेश किया, सा0मि0 किया गया। उक्त बंटवाझा रिपोर्ट पर उभय पक्षों ने स्वीकारोक्ति कर हस्ताक्षर किए हैं।

बंटवाझा प्रस्ताव पर बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने माफिक बंटवाझा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाझा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। वकील मय प्रतिवादीगण ने भी माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाझा किये जाने में कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की अर्थात् सहमति व्यक्त की हैं। लिहाजा माफिक बंटवाझा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 03/06/2015 वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाझा किया जाना उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 03/06/2015 अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–फूलमाल तहसील–जैतारण, जिला–पाली (राज0) में वादी व प्रतिवादी संख्या 7 की शामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 440, 441, 442 कुल किता–3 कुल रकबा 38 बीघा 11 बिस्वा की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	अणदा तेजा पि0 नाथू 187/702 हि0, काना पुत्र हीरा 187/702 हि0 कौम–जाट, चैना श्रवण पि0 देवा, श्रवण ना0बा0 की वलिया माता ढगली बेवा देवा 141/702 हि0 शेषू पुत्र जगा 187/702 हि0 कौम–राईका सा0 देह खातेदार। रहन–शेषू का हिस्सा एम.जी.बी. शाखा–जैतारण	441 442	17-04-00 17-18-00	चा0प्र0 चा0प्र0	63.39 रू.
योग		2	35-02-00	चा0प्र0	63.39 रू.
2	अणदा तेजा पि0 नाथू 1/4 हि0, काना पुत्र हीरा 1/4 हि0 कौम–जाट, पूना चैना श्रवण पि0 देवा, श्रवण ना0बा0 की वलिया माता ढगली बेवा देवा, शेषू पुत्र जगा 1/12 ब0हि0ब0 खातेदार। रहन–शेषू व पूना का हिस्सा एम. जी.बी. शाखा–जैतारण	440	1-02-00	गै.मु.बेरा	
3	पूनाराम पुत्र देवाराम कौम–राईका सा0 देह खातेदार।	441/1 442/1	1-03-00 1-04-00	चा0प्र0 चा0प्र0	4.23 रू.
योग		2	2-07-00	चा0प्र0	4.23 रू.

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 03/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र शिविरि–फूलमाल पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण

बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा, आर०ए०एस०

वादी :- बनाम प्रतिवादीगण :-

1. पूनाराम पुत्र देवाराम
जाति-देवासी, निवासी-फूलमाल,
तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

1. चैनाराम पुत्र देवाराम
2. श्रवणराम पुत्र देवाराम
3. दगली बेवा देवाराम
4. शेषाराम पुत्र जगाराम
जातियान-देवासी निवासी-फूलमाल
तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)
5. अणदाराम पुत्र नाथूराम
6. तेजाराम पुत्र नाथूराम
7. कानाराम पुत्र हीराराम
जातियान-जाट निवासी-फूलमाल
तहसील- जैतारण, जिला-पाली

मु0न0 :रा0वा0 स0:63/2004

राजस्व वाद बाबत् बंटवाझ एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955,

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई व श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाझ रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 03/06/2015 अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-फूलमाल तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज0) में वादी व प्रतिवादी संख्या 7 की शामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि असरा नंबर 440, 441, 442 कुल किता-3 कुल रकबा 38 बीघा 11 बिस्वा की भूमि का बँटवाझ अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	अणदा तेजा पि0 नाथू 187/702 हि0, काना पुत्र हीरा 187/702 हि0 कौम-जाट, चैना श्रवण पि0 देवा, श्रवण ना0बा0 की वलिया माता दगली बेवा देवा 141/702 हि0 शेषू पुत्र जगा 187/702 हि0 कौम-राईका सा0 देह खातेदार। रहन-शेषू का हिस्सा एग.जी.बी. शाखा-जैतारण	441 442	17-04-00 17-18-00	चा0प्र0 चा0प्र0	63.39 रू.
	योग	2	35-02-00	चा0प्र0	63.39 रू.
2	अणदा तेजा पि0 नाथू 1/4 हि0, काना पुत्र हीरा 1/4 हि0 कौम-जाट, पूना चैना श्रवण पि0 देवा, श्रवण ना0बा0 की वलिया माता दगली बेवा देवा, शेषू पुत्र जगा 1/12 ब0हि0ब0 खातेदार। रहन-शेषू व पूना का हिस्सा एग. जी.बी. शाखा-जैतारण	440	1-02-00	जै.मु.बेरा	
3	पूनाराम पुत्र देवाराम कौम-राईका सा0 देह खातेदार।	441/1 442/1	1-03-00 1-04-00	चा0प्र0 चा0प्र0	4.23 रू.
	योग	2	2-07-00	चा0प्र0	4.23 रू.

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवारा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 03/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–फूलमाल पर जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02–00	स्टाम्प वकालतनामा	05–00
स्टाम्प वकालतनामा	02–00	स्टाम्प अर्जी	02–00
स्टाम्प वजह सबूत	03–00	महनताना वकील	
महनताना वकील	04–00	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा		मुत्फरिक	
	11–00	मिजानः–	07–00

मिजानः–

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner